सं. आईसीएमआर/आरएंडपी सेल/पदोन्नति /ए. डी. (ओ.एल.)/2025

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

वी. रामलिंगस्वामी भवन

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110 029

तारीखः 01.06.2026

कार्यालय आदेश

विषयः सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति- के संबंध में।

******

डी. पी. सी. (समूह 'ए') की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, निम्नलिखित कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति, उनके पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी:-

क्र. सं.	नाम	जिस श्रेणी के अंतर्गत पदोन्नत किया गया	वर्तमान में कार्यरत संस्थान/केंद्र का नाम	पदोन्नति होने पर आवंटित संस्थान/केंद्र का नाम
1.	डॉ. आर. एम.पोरवाल	अनारक्षित	एनआईओएचआर अहमदाबाद	एनआईएमआर, द्वारका

2. उन्हें इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति देने और पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दिया जाता है। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और आगामी किसी सूचना की प्रतीक्षा किए बिना पदोन्नति आदेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। बाध्यकारी कारणों को छोड़कर, पदोन्नति स्वीकार करने या पदोन्नत पद पर पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए आगे समय बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. वे पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और वह भारत में कहीं भी सेवा प्रदान के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. उनका वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और सी. सी. एस. (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अनुसार नियत किया जाएगा।

5. उन्हें पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति पर सीधे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें सी. पी. सी. वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से नए पद पर अपना वेतन नियत करवाएंगे।

6. यदि वे पदोन्नति को अस्वीकार करते हैं, तो वे तब तक आगे के वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं होंगे, जब तक कि वे फिर से पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

7.	निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने पर, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और दिनांक 01 अक्टूबर 1981 के डीओपीटी कार्या. ज्ञा. संख्या 22034/3/81-स्था. (डी) के संदर्भ में वर्जित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8.	उपर्युक्त पदोन्नति दिनांक 12.04.2022 के डी. ओ. पी. टी. कार्या. ज्ञा. संख्या 36012/16/2019 स्था. (आर. एस.) के पैरा 5 की शर्तों को छोड़कर, जरनैल सिंह बनाम वी. लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनाम अन्य संबंधित मामलों- एस. एल. पी. (सी) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न 2022 के सी. ए. संख्या 629 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगामी आदेशों के अधीन हैं।

-हस्त-
(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

डॉ. आर. एम. पोरवाल,
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,
आईसीएमआर-
एनआईओएचआर अहमदाबाद

प्रतिलिपि:-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक (एसपी)/ अपर महानिदेशक (एएस)/वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. संबंधित संस्थानों/केंद्रों के निदेशक- इस अनुरोध के साथ कि पदोन्नति की स्वीकृति/ पदग्रहण/कार्यभार ग्रहण/ पदोन्नति अस्वीकार करने की रिपोर्ट, यदि कोई हो, तो तत्काल स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को ईमेल के माध्यम से admin1.hq@icmr.gov.in पर भेजें।
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त एवं लेखा)।
4. संपर्क अधिकारी (आरक्षण प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय।
5. सतर्कता/लेखा-I/VI अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार डेस्क, परिषद मुख्यालय।
7. बजट/गार्ड फाइल।